UPHR040273822022

Presented on : 12-10-2022
Registered on : 12-10-2022
Decided on : 15-05-2026
Duration : 3 years, 7 months, 3 days

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई।

उपस्थित-ऋचा वर्मा (उ०प्र०न्यायिक सेवा)

J.O. Code -U.P.-UP02102

दाण्डिक वाद संख्या-21795/2022

सरकार ..... अभियोगी।

बनाम

1. इस्तिखार अली पुत्र इश्तियाक अली
2. इश्तियाक अली पुत्र वारिस अली
3. सैदून पत्नी इश्तियाक

सर्वनिवासीगण मोहल्ला बरौनी थाना सण्डीला जिला हरदोई।

..... अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध सं.-302/2018
धाराः-498-A, 323/34, 506 भा०दं०सं०
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना- सण्डीला, जिला हरदोई।

निर्णय

1. प्रस्तुत मुकदमा अपराध सं० 302/2018, में थाना-सण्डीला, जिला-हरदोई द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण इस्तिखार अली, इश्तियाक अली एवं सैदून के विरूद्ध धारा- 498-A, 323/34, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार वादी मुकदमा ने बताया कि उसने अपनी पुत्री नूर सबा का निकाह दिनांक 26.03.2017 को मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक विपक्षी संख्या 1 के साथ किया था और निकाह के समय अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। परन्तु विपक्षीगण, जो लालची प्रवृत्ति के हैं। उसके द्वारा दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और निकाह के बाद से ही उसकी पुत्री को कम दहेज की खातिर मारते पीटते व शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुंचाते थे और कहते थे कि दहेज में मोटर साइकिल व रंगीन टीवी नहीं मिली है। इसलिए वह अपने बाप से मोटर साइकिल व रंगीन टीवी जब तक लेकर नहीं आओगी। तब तक उसे ठीक से नहीं रखेंगे। उसकी पुत्री ने जब उसको यह बात मायके आकर बतायी तो वह अपने साथ सिराजुल पुत्र हजारी व गनी पुत्र बाबू निवासी बहादुर नगर महतवाना कस्बा व थाना सण्डीला व कई रिश्तेदारों को ले जाकर विपक्षीगणों से काफी खुशामद की। तब विपक्षीगण उसकी पुत्री को बड़ी मुश्किल से विदा कराकर ले गये। लगभग 5 माह पूर्व विपक्षीगण उसकी पुत्री को, जो उस समय गर्भवती थी। मारपीट कर, मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया और कहा कि अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व रंगीन टी.वी. लिये बगैर उसके घर वापस आ गयी तो जान से मार डालेंगे। वादी गरीब मजदूर पेशा आदमी है। इसलिए विपक्षीगण की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकता है। अतः उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. संबंधित थाने पर दी गई वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 302/2018**,** धारा-498-A, 323, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत

Digitally signed by RICHA VERMA
Date: 2026.05.22 11:03:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण इस्तिखार अली, इश्तियाक अली, श्रीमती सैदुन, तहमीना व जुबैर अहमद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. तत्पश्चात मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया एवं गवाहों के बयान अंकित किए। विवेचनाधिकारी ने विवेचना की अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त उक्त मामले में अभियुक्तगण इस्तिखार अली, इश्तियाक अली व सैदुन के विरूद्ध धारा 498-A, 323, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5. आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया तथा अभियुक्तगण ने न्यायालय उपस्थित आकर अपनी जमानत करायी व 207 दं०प्र०सं० के तहत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी।

6. न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2024 को अभियुक्तगण इस्तिखार अली, इश्तियाक अली एवं सैदून के विरूद्ध धारा 498-A, 323/34, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

7. अभियोजन की ओर से उपर्युक्त आरोपों को साबित करने के लिए कुल तीन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

8. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार किया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया गया।

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया। साक्षीगण के संबंध में कुछ नहीं कहा। इसके अग्रेतर अभियुक्तगण ने मुकदमा रंजिशन चलने की बात कही। उसे फर्जी फंसाया गया है।

10. मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

11. न्यायालय द्वारा यह विश्लेषण दिया जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 498-A, 323/34, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम साबित करने में सफल रहा है।

12. अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आक्षेप है कि उन्होनें दिनांक, समय व स्थान अदम तहरीर अनुसार में वादी मुकदमा की पुत्री नूर सबा को दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, मारा पीटा, जान से मारने की धमकी देने तथा अतिरिक्त दहेज में एक मोटर साइकिल, रंगीन टी.वी. मांगने का आरोप है।

13. अभियोजन की ओर परीक्षित **साक्षी पी०डब्लू०-1 नूर सबा** ने कथन किया है कि मेरा निकाह दिनांक 26.03.2017 को इस्तिखार अली के साथ हुआ था। विवाह में मेरे मां बाप ने अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज दिया था। दिये गये दान दहेज की बातचीत को लेकर इस्तिखार अली, इश्तियाक अली, सैदुन, हाशमी, तहमीना, जुबैर अहमद कहासुनी करने लगे। अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व रंगीन टीवी की कोई मांग नहीं की थी और न ही कोई मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी थी। रिपोर्ट मेरे पिता मोहम्मद शमीम ने दर्ज करायी थी। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। साक्ष्य के इस स्तर पर उक्त साक्षी को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14. बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गयी तो उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किया कि मेरा मायका मोहल्ला बहादुर नगर महतवाना थाना सण्डीला में है। आज मैं गवाही देने अपनी ससुराल मोहल्ला बरौनी अशराफ टोला से अपने पति इस्तिखार के साथ आयी हूँ। मैं लगभग 10 महीने से अपने पति के साथ रह रही हूँ। मैं अपनी ससुराल में पति व सास ससुर के साथ संयुक्त रूप से रह रही हूँ। मेरे पिता जी ने रिपोर्ट मेरे ससुरालीजनों से मतभेद के जरिए दर्ज करा दी थी। रिपोर्ट दर्ज कराने मैं नहीं गयी थी। मेरा एक लड़का है जो विवाह के डेढ़ साल बाद हुआ था। ये बात सही है कि मेरा आपस में पति पत्नी के बीच समझौता हो गया है। ये कहना गलत है कि कि मुल्जिमान ने अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व

रंगीन टीवी की मांग की हो और मांग न पूरी होने के कारण मेरे साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी हो। आज मैं गवाही अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के दे रही हूँ।

15. अभियोजन की ओर परीक्षित **साक्षी पी०डब्लू०-2 मोहम्मद शमीम** ने कथन किया है कि आज से लगभग 7-8 साल पहले मैंने अपनी पुत्री नूर सबा का निकाह इस्तिखार अली पुत्र इश्तियाक अली निवासी ग्राम अशराफ टोला के साथ किया था। अपनी हैसियत के हिसाब से काफी दान दहेज दिया था। मुल्जिमान इस्तिखार अली, इश्तियाक अली, श्रीमती सैदुन, हाशमी, तहमीना, जुबैर अहमद घरेलू बातों को लेकर कहासुनी करने लगे। मुल्जिमानों ने मुझसे अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल व रंगीन टीवी की मांग नहीं की थी। मुझे मेरी लड़की के बताने के अनुसार व कुछ लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। तहरीर संलग्न पत्रावली है। गवान ने कहा इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करती हूँ। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया है। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। साक्ष्य के इस स्तर पर उक्त साक्षी को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोक्षी घोषित किया गया।

16. बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गयी तो उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किया गवाह को धारा-161 द०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया। कैसे लिख लिया। मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मेरी लड़की की ससुराल मेरे घर से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर है। इस्तिखार अली सिलाई का काम करता है। आज गवाही के लिए मेरे साथ आया है। मेरी लड़की नूर सबा इस समय अपनी ससुराल में है। लगभग 9-10 महीने से रह रही है। मेरी पुत्री के एक लड़का भी है। जिसकी उम्र लगभग 06 वर्ष है। ये कहना सही है कि मेरी अब मुल्जिमान के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये कहना सही है कि मुल्जिमानों द्वारा रंगीन टी.वी. व मोटर साइकिल की मांग की गयी हो और मांग पूरी न किये जाने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी हो।

17. अभियोजन की ओर परीक्षित **साक्षी पी०डब्लू०-3 रिहाना** ने कथन किया है कि मैंने अपनी लड़की नूर सबा का निकाह इश्तिखार अली के साथ किया था। लड़की विदा होकर ससुराल गयी तो मुल्जिमान इस्तिखार अली, इश्तियाक अली, सैदून कम दहेज की मांग को लेकर मेरी लड़की को परेशान करने लगे थे। मेरी लड़की ने मायके में आकर मुझे बताया था कि मोटर साइकिल व टीवी की अतिरिक्त मांग को लेकर मुझे परेशान किया गया था। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

18. बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गयी तो उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किया कि गवाह को 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। मुल्जिमान ने मुझसे कोई दहेज की मांग नहीं की थी और न ही मेरे सामने मेरी लड़की को कभी तंग किया था। लगभग एक डेढ़ वर्ष से मेरी लड़की अपने ससुराल में अपने पति के साथ रह रही है। रिपोर्ट मेरे पति ने दर्ज करायी थी। उन्होंने क्या लिखाया था, मुझे जानकारी नहीं है। आज मैं अपने दामाद इस्तिखार के साथ गवाही देने आयी हूँ। यह बात सही है कि मेरा समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण मैं झूठी गवाही दे रही हूँ।

19. साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने पर, अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगणों की पुनः परीक्षा की गयी, परन्तु उक्त साक्षीगण से की गयी पुनः परीक्षा में अभियोजन पक्ष ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर लाने में पूर्णतः असफल रहा है, जिससे अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन होता हो।

20. उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समस्त अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, परन्तु उक्त अभियोजन प्रपत्र मात्र सम्पोषक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। चूंकि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध स्वयं द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सका है, तब ऐसी दशा में मात्र सम्पोषक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है।

21. उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये सशपथ बयान न केवल परस्पर विरोधाभासी है, अपितु अभियोजन कथानक के भी प्रतिकूल हैं।

22. मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण इस्तिखार अली, इश्तियाक अली एवं सैदून, मुकदमा अपराध सं० 302/2018 के विरुद्ध धारा-498-A, 323/34, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-सण्डीला, जिला-हरदोई युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

23. अभियुक्तगण **इस्तिखार अली, इश्तियाक अली एवं सैदून** को मुकदमा अपराध सं० 302/2018, थाना-सण्डीला, जिला-हरदोई में धारा-498-A, 323/34, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

24. अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत बंध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा सम्बन्धित प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा-437A दं०प्र०सं० के अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि वे अपील दाखिल होने तक अथवा छः माह की अवधि तक **बीस-बीस हजार रुपये** का **एक-एक जमानती** एवं समान धनराशि का निजी बंध पत्र दाखिल करें।

दिनांक-15.05.2026

(ऋचा वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरदोई।
(**जे.ओ. कोड UP02102**)

25. यह निर्णय तथा आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करने के उपरान्त आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक- 15.05.2026

(ऋचा वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरदोई।
(**जे.ओ. कोड UP02102**)